(28)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर ।
समक्ष अध्यक्ष महोदय

PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/3899

जगदम्बा प्रसाद पाण्डे
आ. स्व. त्रिशूल चंद्र पाण्डे
निवासी बाबई रोड़ होशंगाबाद
तह. व जिला होशंगाबाद...............................याचिकाकर्ता

बनाम

1.आनंद कुमार आ. कल्पनाथ
मिश्रा निवासी इच्छापूर्ति मंदिर
के सामने रसूलिया होशंगाबाद
तह. व जिला होशंगाबाद

2.राधेश्याम पाण्डे आ. स्व. मणिचंद्र
पाण्डे निवासी रामजानकी मंदिर के
पास सेठानी घाट होशंगाबाद तह.
व जिला होशंगाबाद...................................अनावेदकगण

श्री दिवाकर शोरित द्वारा आज दि. 12/10/17 को प्रस्तुत
12-10-17
पेशी दिनांक 8-11-17
12/10/17
दिवाकर शोरित (एड.)
8/11/17

<u>पुनरीक्षण याचिका धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत</u>

आवेदक के द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका राजस्व प्रकरण क्र. 9अ6 वर्ष 2016–17 आनंद कुमार बनाम् जगदम्बा प्रसाद पाण्डे में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 14.09.17 / 08.09.17 से व्यथित होकर निम्न आधारो पर प्रस्तुत करता है:–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवत्ति आदेश पष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भूरा/2017/3899

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-11-18	आवेदकपक्ष की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित, अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 07-01-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	